265

with 5 spare ... (14) 43

288
11-2-99

(Authoritative English Text of H.P.Goverment Notification No.Agr.A(3)-1/97,dated 6.2.99 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

GOVT.OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

No.Agr.A(3)-1/97 Dated:Shimla-2,the 6th Feb.1999

NOTIFICATION

The Governor,Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Map Officer,Class-II(Gazetted) in the Department of Agriculture,Himachal Pradesh as per Annexure"A" attached to this notification,namely:-

Short title and commencement.

1.(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Agriculture Department,Map Officer,Class-II(Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,1998.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

DEV SWARUP
F.C-cum-Secretary(Agr)to the
Gvernment of Himachal Pradesh

No.Agr.A(3)-1/97 Dated:Shimla-2,the 6th Feb.99

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt.of H.P.
2. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
3. The Director of Agriculture,Himachal Pradesh, Shimla-5.
4. The Controller,H.P.Printing & Stationery Deptt.Shimla-5 for publication in the H.P. Rajpatra(Extra Ordinary) A copy of the Rajpatra may kindly be supplied to this Deptt. for record.
5. The Deputy Legal Remembrancer to the Govt. of H.P.Shimla-2.
6. 150 Spare copies.

Addl.Secretary(Agr)to the
Govt. of Himachal Pradesh.

10.2.99

*RLS

Directorate of Agriculture H.P.
No. 460
Date 11-2-99
Central Registry

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MAP OFFICER (CLASS-II,GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post	: Map Officer
2. Numbers of Posts	: 1 (One)
3. Classification	: Class-II(Gazetted)
4. Scale of pay	: 7220-220-8100-275-10300-340-11660
5. Whether Selection Post or non-selection Post	: Selection
6. Age for direct recruitment	: Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct rectt	: Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees:	: i) Age: Not applicable ii) Educational Qualifications: Not applicable
9. Period of probation, if any	: Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the %age of vacancies to be filled in by various methods.	: 100% by promotion.
11. In case of recruitment by promotion, deputation transfer, grade from which promotion/ promotion/transfer is to be made	: By promotion fom amongst the Circle Head Draughtsmen having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc(rendered upto 31.3.98) service in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in feeder post upto 31.03.1998, if any prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion

..2/-

...ect to the condition that in adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that in all cases where a junior person becomes aligible for consideration by virtue of his total length of service (including the sercvice rendered on adhoc basis upto 31.03.1998) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post,whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen(Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder;

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post upto 31.03.1998, if any,prior to the regular appointment/promotion had shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection in accordance with the provisions of the R&P Rules:

Provided that inter se-seniority as a result of

confirmation after taking into account,adhoc service rendered upto 31.03.1998 shall as referred to above shall remain unchanged.

12.If a Departmental Promotion Committee exists,what is its composition.	DPC to be presided over by the Chairman H.P.P.S.C. or a Member thereof to be nominated by him
13.Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14.Essential requirement for a direct recruitment.	Not Applicable
15.Selection for appointment to post by direct recruitment	Not Applicable
16.Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt.from time to time
17.Departmental Examination	Every member of the serrvice shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules,1997.
18.Powers to Relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so,it may,by order for reasons to be recorded in writing and in consultaion with the HPPSC, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

*RLS

269

18/47

290
11-2-99

हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

संख्या:एग्र•ए•§3§-1/97 तारीख,शिमला-171002, 06-02-1999.

अधिसूचना
=======

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में मानचित्र अधिकारी,वर्ग-।।§राजपत्रित§ के पद के लिये, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1• संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । §1§ इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग,मानचित्र अधिकारी,वर्ग-।।§राजपत्रित§ भर्ती और प्रोन्नति नियम,1998 है ।

§2§ ये नियम राजपत्र,हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा

देव स्वरूप
वित्तायुक्त एवं सचिव§कृषि§
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या:एग्र•ए•§3§-1/97 दिनांक:शिमला-2, 06-02-1999.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-
1• समस्त प्रशासनिक सचिव,हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2•
2• समस्त विभागाध्यक्ष,हिमाचल प्रदेश ।
3• निदेशक§कृषि§,हिमाचल प्रदेश,शिमला-5•
4• नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग,हिमाचल प्रदेश,शिमला-5 को हि0प्र0 असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । आपसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस विभाग को उपलब्ध करवायें ।
5• सहायक विधायी प्रारूपकार§हिन्दी§-।।।,हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2•
6• उप-विधि परामर्शी,हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2•
7• संरक्षण नस्ति § 60 अतिरिक्त प्रतियां §

अतिरिक्त सचिव§कृषि§
हिमाचल प्रदेश सरकार

आर•एल•
=====

Directorate of Agriculture H.P.
No. 463
Date 11-2-99
Central Registry

19/48

कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में "मानचित्र अधिकारी" वर्ग-II (राजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम	:	मानचित्र अधिकारी
2. पदों की संख्या	:	एक (1)
3. वर्गीकरण	:	वर्ग-II (राजपत्रित)
4. वेतनमान	:	7220-220-8100-275-10300-340-11660
5. चयन पद अथवा अचयन पद	:	चयन।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	:	लागू नहीं।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	:	लागू नहीं।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	(i) आयु: लागू नहीं। (ii) शैक्षिक अर्हतायें : लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि	:	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:	:	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।	:	वृत मुख्य प्रारूपकारों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (31.3.98 तक) की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 3 वर्ष कार्मयुक्त नियमित सेवाकाल हो। 1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31.3.98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती

एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार उनकी उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31.3.98) तक की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार करने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे:

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धित विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जायेगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हो।

2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31.3.98 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो,

सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट 31•3•1998 तक की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12• यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :	विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जायेगी।
13• भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।	: जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14• सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा	: लागू नहीं।
15• सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	: लागू नहीं।
16• आरक्षण	: उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्ग और अन्य प्रवर्ग से व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।
17• विभागीय परीक्षा	: सेवा में प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18• शिथिल करने की शक्ति	: जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

आर•एल•